



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बालोतरा

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2018/00181(76/2018)

दर्ज तिथि:- 10.08.2018

1. सुआ पुत्री दुर्गाराम
2. समू पुत्री दुर्गाराम
जाति मेघवाल निवासी आलपुरा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. पोकराराम पुत्र मेहराराम
2. पदमाराम पुत्र मेहराराम
3. जीवाराम पुत्र मेहराराम
4. घेवाराम पुत्र मेहराराम
5. सोहनलाल पुत्र मेहराराम
6. जेतीदेवी पत्नी मेहराराम
7. भंवराराम पुत्र मांगाराम
8. चैनाराम पुत्र मांगाराम
9. आसुराम पुत्र मांगाराम
10. भगवानाराम पुत्र दुर्गाराम
जाति मेघवाल निवासी आलपुरा तहसील गुडामालानी
11. शाखा प्रबंधक एसबीबीजे शाखा गुडामालानी
12. तहसीलदार गुडामालानी
13. नरींगाराम पुत्र चतराराम
जाति मेघवाल निवासी सिंघासवा चौहान तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

.....प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री प्रागाराम बोगराज

प्रतिवादी:- श्री रामजीवन विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 88,188

राजस्थान काश्तकारी अधि0-1955

—:निर्णय:—

निर्णय तिथि:-25.05.2026


1. आज यह पत्रावली दावा बाबत इस्तकराहकक अन्तर्गत धारा-88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। हस्तगत वाद पत्र निर्णयन हेतु प्रकरण का सारतः सूक्ष्म विवरण इस प्रकार से है:-

सुआ बनाम पोकराराम

2018/00181

निर्णय दिनांक:-25.05.2026

- कि आराजी खसरा संख्या 102 रकबा 38-09 बीघा, 133 रकबा 03-12 बीघा, 214 रकबा 17-19 बीघा, 249 रकबा 51-15 बीघा, 305 रकबा 16-04 बीघा, 311 रकबा 20-06 बीघा कुल रकबा 148-07 बीघा मौजा आलपुरा तहसील गुड़ामालानी में वादीगण के पूर्वज दुर्गा पुत्र आंबा के समय की खातेदारी आराजी दर्ज रिकार्ड है। साथ ही वर्तमान में उक्त खसरान के आपसी सहमति विभाजन होने से खसरा संख्या 102 रकबा 12-17 बीघा, 133/4 रकबा 01-04 बीघा, 249 रकबा 03 बीघा, 249/5 रकबा 14 बीघा, 305 रकबा 16-04 बीघा, 311 रकबा 06-16 बीघा, 214/7 रकबा 02 बीघा, खसरा संख्या 214/8 रकबा 02 बीघा, 214/9 रकबा 02 बीघा मौजा आलपुरा तहसील गुड़ामालानी के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड संधारित है।
- कि वादीगण हिन्दू होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम-1956 से शासित होते हैं। वादीगण के पिता दुर्गाराम के फौत होने पर उनके तीन पुत्र मांगा पुत्र दुर्गा, मेहरा पुत्र दुर्गा एवं भगवाना पुत्र दुर्गा एवं दो पुत्रियां सुआ पुत्री दुर्गा, समू पुत्री दुर्गा वारिस हैं। जिनका पूर्वज स्व. दुर्गाराम की उक्त खातेदारी आराजी में 1/5-1/5 बहिस्सा बराबर के हक अधिकार निहित हैं।
- कि वादीगण अपने पूर्वज दुर्गा पुत्र आंबा के वारिस होने के कारण अपने पिता के साथ सहदायिकी तथा संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य होने के कारण उक्त आराजी में जन्म से ही हक निहित होने के कारण अधिकार रखते हैं। इस स्थिति में उक्त आराजी में वादीगण के पिता दुर्गा पुत्र आंबा के हिस्से में प्रत्येक वादीगण संख्या 01 से 02 का 1/5-1/5 हिस्सा कानूनन निहित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है—



- कि खातेदार स्व० दुर्गाराम के फौत होने पर स्व० दुर्गाराम का फौतगी नामांतरकरण स्व० दुर्गाराम के जायंदा वारिसान मांगा पुत्र दुर्गा, मेहरा पुत्र

दुर्गा एवं भगवाना पुत्र दुर्गा एवं दो पुत्रियां सुआ पुत्री दुर्गा, समू पुत्री दुर्गा के नाम खोला जाना था। परंतु उक्त नामांतरकरण प्रतिवादी संख्या 01-06 के पूर्वज मेहरा, प्रतिवादी संख्या 07-09 के पूर्वज मांग व प्रतिवादी संख्या 10 भगवाना के नाम खोला गया। इस प्रकार स्व0 दुर्गाराम की वैध वारिस वादीनीगण को अपने पिता की सम्पत्ति से वंचित रखकर कानूनी भूल की है। साथ अपने हिस्सा अनुसार वादीगण का मौके पर कब्जा काश्त जारी है।

- कि उक्त आराजी में प्रतिवादीगण संख्या 01-09 को बिना विभाजन, बिना सहदायकों की सहमति के बयनामा दिनांक 06.11.2020 द्वारा प्रतिवादी संख्या 13 के पक्ष में बयनामा निष्पादित करवाने का अधिकार नहीं था। उक्त बयनामा दिनांक 06.11.2020 में वादीगण के पक्षकार नहीं होने के कारण वादीगण उक्त बयनामा दिनांक 06.11.2020 से पाबंद व जिम्मेदार नहीं है। इस कारण वादीगण उक्त विवादित बयनामा दिनांक 06.11.2020 को आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित करवाने के अधिकारी है। इस आधार पर वादीगण अपने हिस्से की पैतृक भूमि में घोषणा करवाने के अधिकारी है।
- कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01-10 के अपने पूर्वज दुर्गा के वारिस होने के कारण अपने भाईयों के साथ सहदायिकी तथा संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य होने के कारण उक्त आराजी में जन्म से ही हक निहित होने के कारण अधिकार रखते है। उक्त आराजी पर वादीगण का कब्जा है। एक सहदायक का कब्जा सभी सहदायकों का कब्जा माना जाता है। इस कारण उक्त आराजी में प्रतिवादीगण संख्या 01-09 को बिना विभाजन, बिना सहदायकों की सहमति के बयनामा दिनांक 06.11.2020 द्वारा प्रतिवादी संख्या 13 के पक्ष में बयनामा निष्पादित करवाने का अधिकार नहीं था। प्रतिवादी संख्या 13 एक अजनबी क्रेता है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 13 के एक अजनबी क्रेता होने के कारण उक्त आराजी पर कब्जा करने हेतु आमदा है। प्रतिवादी संख्या 13 के एक अजनबी क्रेता होने के कारण अवैध रूप से कब्जा प्राप्त के कारण प्रतिवादी संख्या 13 का कब्जा अतिक्रमण माना जाकर प्रतिवादी संख्या 13 को अतिक्रमी माना जाएगा।
- कि बयनामा दिनांक 06.11.2020 में वादीगण के पक्षकार नहीं होने के कारण वादीगण उक्त बयनामा दिनांक 06.11.2020 से पाबंद व जिम्मेदार नहीं है। इस कारण वादीगण उक्त विवादित बयनामा दिनांक 06.11.2020 को आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित करवाने के अधिकारी है।
- कि प्रतिवादी संख्या 13 एक अजनबी क्रेता है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 13 के एक अजनबी क्रेता होने के कारण उक्त आराजी पर कब्जा करने हेतु आमदा है। उक्त आराजी पर वादीगण का कब्जा है। एक सहदायक का कब्जा सभी सहदायकों का कब्जा माना जाता है। इस आधार पर प्रतिवादी संख्या 13 के विरुद्ध वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।
- कि उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 01-09 को बिना विभाजन, बिना सहदायकों की सहमति के बयनामा दिनांक 06.11.2020 द्वारा प्रतिवादी संख्या 13 के पक्ष में बयनामा निष्पादित करवाने का अधिकार नहीं था। इस कारण प्रतिवादी संख्या 13 एक अजनबी क्रेता है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 13 के एक अजनबी क्रेता होने के कारण उक्त आराजी पर कब्जा

करने हेतु आमादा है। इस प्रकार वादीगण को उक्त दावा हेतु बिनायदावा उत्पन्न हुआ है।

- कि वादीगण के उक्त आधारों पर निम्न अनुतोष निवेदित है:—
 1. उक्त आराजी में वादीगण के पिता दुर्गा के हिस्से में प्रत्येक वादीगण संख्या 01 से 02 का 1/5—1/5 हिस्सा घोषित किया जाकर सहखातेदार घोषित किया जावे।
 2. वादीगण के हक हिस्से में से प्रतिवादी संख्या 01—09 द्वारा प्रतिवादी संख्या 13 के पक्ष में निष्पादित बयनामा दिनांक 06.11.2020 वादीगण के अधिकारों के प्रति आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 13 के पक्ष में बयनामा दिनांक 06.11.2020 के आधार पर फैसल किये गये नामांतरकरण को निरस्त करवाकर राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी संख्या 06.11.2020 का नाम कलमजन किया जावे।
 3. वादीगण के हिस्सों के अतिरिक्त वादीगण के पिता दुर्गा के हिस्से की भूमि का वादीगण का वादीगण के पिता दुर्गा के प्रथम श्रेणी के वारिसान होने के आधार पर प्रतिवादी संख्या 13 के अजनबी क्रेता से पहले खरीदने का अधिकारी होने के कारण प्रतिवादी संख्या 13 को स्थायी निषेधाज्ञा के मार्फत निर्देश दिया जावे कि प्रतिवादी संख्या 13 उक्त हिस्से की आराजी का बेचान वादीगण के पक्ष में बयनामा निष्पादित करवाये।
 4. वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।
 5. वादीगण को प्रतिवादीगण से वाद का खर्चा दिलवाया जावें।
 6. अन्य तनकी।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 ता 09 एवं 13 असालतन—वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 01 ता 09 ने वादीगण के दावा का खंडन करते हुए जवाबदावा पेश कर निम्न प्रकार निवेदन किया:—

- कि प्रतिवादी संख्या 01—09 स्व0 दुर्गाराम के वारिसान हैं। परंतु वादीनीगण प्रतिवादी संख्या 01—09 के परिवार की सदस्या नहीं है। वादीनीगण द्वारा गलत सजरा बनाकर प्रस्तुत किया गया है।
- कि स्व0 दुर्गाराम के तीन पुत्र मांगा, मेहरा एवं भगवाना थे। साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा स्व0 दुर्गाराम के फौतगी नामांतरकरण को फैसल करते समय भी इन्हीं तीन पुत्रों को स्व0 दुर्गाराम का विधिक वारिस माना है।
- कि मुतनाजा आराजी पर प्रतिवादी संख्या 01—10 द्वारा आपसी सहमति से विभाजन करते हुए अलग—अलग खसरे कायम करवाकर मौके पर निर्बाध रूप से कब्जा काश्त करते आ रहे हैं। साथ ही मुतनाजा आराजी पर वादीनीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं है। उक्त तथ्य वादीनी द्वारा प्रस्तुत राजस्व दस्तावेजों से भी साबित होने से वादीनी का उक्त आराजी में कोई हक अधिकार नहीं बनता है।

- कि वादीनीगण स्व० दुर्गाराम की प्रथम श्रेणी की वारिसान नहीं है। इस संबंध में स्व० दुर्गाराम का फौतगी नामांतरकरण संख्या 304 पारित करते समय ग्राम पंचायत द्वारा कोई विधिक भूल नहीं की गई है।
- कि वादीनीगण द्वारा अपने दावे में यह स्वीकारोक्ति की है कि प्रतिवादी संख्या 01-10 द्वारा मुतनाजा आराजी का विभाजन करवा लिया है तथा स्व० दुर्गाराम का फौतगी नामांतरकरण तस्दीक होने के संबंध में भी वादीनीगण को कोई जानकारी नहीं है।
- कि स्व० दुर्गाराम की फौतगी के करीब 30 वर्षों के पश्चात् वादीनीगण द्वारा उक्त दावा केवल मनगढत तथ्यों एवं बनावटी पेश किया गया है। साथ ही वादीनीगण द्वारा स्व० दुर्गाराम की फौतगी नामांतरकरण के संबंध में इतने अंतराल के पश्चात् भी कोई भी उज्र एतराज किसी भी न्यायालय में पेश नहीं किया गया है।
- कि हस्तगत दावा में वादीनीगण द्वारा स्व० दुर्गाराम की वारिसान होने के आधार पर दावा पेश किया गया है। जबकि विधिक वारिस घोषित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं होकर सिविल न्यायालय को है। अतः वादीनीगण का उक्त दावा राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने के कारण काबिल-ए-खारिज है।
- कि वादीनीगण द्वारा स्व० दुर्गाराम की विधिक वारिस होने के संबंध में अपने दावे में केवल मौखिक अभिकथन किये हैं। इस संबंध में वादीनीगण द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य अपने दावे के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार वादीनीगण द्वारा मौखिक आधार पर किये गये अभिकथन के आधार पर वादीनीगण का उक्त आराजी में कोई अधिकार नहीं बनने के कारण वादीनीगण का उक्त दावा काबिल-ए-खारिज है।
- कि स्व० दुर्गाराम की फौतगी के करीब 30 वर्षों के पश्चात् वादीनीगण द्वारा उक्त दावा केवल मनगढत तथ्यों एवं बनावटी पेश किया गया है। इस प्रकार वादीनीगण का उक्त दावा म्याद बाहर होने से काबिल-ए-खारिज है।
- कि वादीनीगण प्रतिवादी संख्या 01-09 के परिवार की सदस्य नहीं होने के आधार पर उक्त आराजी में कोई हक अधिकार नहीं रखती है। अतः इस आधार पर वादीनीगण प्रतिवादी संख्या 01-09 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारीणी नहीं है।
- कि प्रकरण में वादीनीगण प्रतिवादी संख्या 01-09 के परिवार की सदस्या नहीं है। प्रतिवादी संख्या 01-09 द्वारा प्रतिवादी संख्या 13 को अपने हिस्से की भूमि का बेचान दिनांक 06.11.2020 को प्रतिवादी संख्या 13 के पक्ष में किया गया है। तत्समय से प्रतिवादी संख्या 13 मौके पर काबिज काशत है। इस कारण वादीगण का उक्त आराजी पर कोई अधिकार नहीं है।
- कि प्रतिवादी संख्या 01-09 द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बेचान दिनांक 06.11.2020 को प्रतिवादी संख्या 13 के पक्ष में किया गया है। अपने परिवार के कर्ता होने के तहत प्रतिवादी संख्या 01-09 को अपनी आराजी को बेचान करने की विधिक अधिकारिता प्राप्त थी। अपने परिवार के कर्ता होने के तहत प्रतिवादी संख्या 01-09 को अपने परिवार के हित में समस्त प्रकार के निर्णय लेने का विधिक अधिकार प्राप्त है। उक्त विधिक अधिकारिता के तहत

ही प्रतिवादी संख्या 01-09 द्वारा प्रतिवादी संख्या 13 को उक्त आराजी का बेचान किया जाकर कब्जा सुपुर्द किया है। इस प्रकार उक्त बेचान के विधिसम्मत होने के कारण वादीगण को उक्त बेचान को आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित करवाने का अधिकार नहीं है। क्योंकि हिन्दू सहदायकी के रूप में परिवार के कर्ता द्वारा यदि परिवार के हितों के निमित्त किसी संपत्ति का बेचान किया जाता है तो उस बेचान को किसी भी स्थिति में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

- कि प्रतिवादीगण संख्या 01-09 द्वारा अपने हिस्से की भूमि का पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर बेचान दिनांक 06.11.2020 को प्रतिवादी संख्या 13 के पक्ष में किया गया है। इस प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 01-09 द्वारा प्रतिवादी संख्या 13 को उक्त आराजी का विधिसम्मत बेचान किया जाकर कब्जा सुपुर्द किया है। इस कारण प्रतिवादी संख्या 13 का कब्जा एवं स्वामित्व विधिसम्मत होने के कारण वादीगण को प्रतिवादी संख्या 13 का कब्जा हटाने, बेदखल करने व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है।
- कि मुतनाजा आराजी की बढ़ती हुई कीमतों के कारण वादीगण मनगढत एवं बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर मुतनाजा आराजी को प्राप्त करने हेतु स्वार्थपूर्ण तरीके से उक्त दावा प्रस्तुत किया गया है।
- कि वादी को उक्त दावा लाने का कोई कारण उत्पन्न नहीं होने के कारण वादीगण का दावा काबिल-ए-खारिज है।
- कि प्रतिवादीगण संख्या 01-09 द्वारा प्रतिवादी संख्या 13 को उक्त आराजी का विधिसम्मत बेचान को आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित करवाने का तनकी चाहा गया है। विवादित बेचान बाबत उक्त तनकी पर सिर्फ दीवानी न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इस बाबत राजस्व न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार व अधिकारिता नहीं है।
- इस प्रकार वादीगण को इस दावा के जरिये किसी भी प्रकार के विधिक तनकी या किसी अन्य प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिता नहीं है। ऐसी स्थिति में वादीगण का दावा काबिल-ए-खारिज है।

3. प्रकरण में वादीगण के वादपत्र एवं प्रतिवादीगण के जबाबदावा के पश्चात् पत्रावली पर निम्नानुसार तनकीयात कायम किये गये:-

1. आया वादीगण मुतनाजा आराजी पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम-1956 की धारा-08 के तहत पैतृक आराजी होकर दुर्गाराम की वारिश होने के आधार पर प्रत्येक के 1/5-1/5 हिस्से के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है।

.....वादीगण

2. आया वादीगण मुतनाजा आराजी पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम-1956 की धारा-08 के तहत पैतृक आराजी होकर दुर्गाराम की वारिश होने के आधार पर प्रत्येक के 1/5-1/5 हिस्से के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के पश्चात विरुद्ध प्रतिवादीगण मुताबिक वादवर्णित अनुतोष अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है।

.....वादी

3. आया वादी के दुर्गाराम की वारिश नहीं होने के कारण दावा वादी काबिल-ए-खारिज है।

.....प्रतिवादी संख्या 01-09

4. आया मुतनाजा आराजी पर वादीगण का कोई कब्जा नहीं होने के कारण स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष पोषणीय नहीं होने के कारण दावा वादी काबिल-ए-खारिज है।
.....प्रतिवादी संख्या 01-09
5. आया वादीगण को दुर्गराम का वारिश घोषित करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को होकर हाजा न्यायालय को नहीं होने के कारण दावा वादी काबिल-ए-खारिज है।
.....प्रतिवादी संख्या 01-09
6. आया वादी को उक्त दावा लाने का वादहेतुक नहीं होने व दावा मियाद बाहर होने के कारण दावा वादी काबिल-ए-खारिज है।
.....प्रतिवादी संख्या 01-09
7. आया मुतनाजा आराजी के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम-1956 की धारा-06 के संशोधन से पूर्व विभाजन होने तथा विभाजित आराजी में से प्रतिवादी संख्या 13 के पंजीबद्ध बयनामा दिनांक 06.11.2020 के जरिये सदभावी क्रेता होने के कारण दावा वादी काबिल-ए-खारिज है।
.....प्रतिवादी संख्या 13
8. अन्य दादरसी
..... उभय-पक्षकारान

4. प्रकरण में वादीगण के वादपत्र एवं प्रतिवादीगण के जबाबदावा के पश्चात् पत्रावली वादीगण साक्ष्य में नियत की गई। प्रकरण में उक्त प्रकार से कार्यवाही किये जाने पर विचारण आरम्भ किया गया। प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्श अंकित किए-

दस्तावेज	संवत् / विवरण	प्रदर्श
जमाबंदी	खतौनी बंदोबस्त मौजा आलपुरा सम्वंत 2012-2031	प्रदर्श-01
नामांतरकरण	नामांतरकरण संख्या 273	प्रदर्श-02
जमाबंदी	खतौनी बंदोबस्त मौजा आलपुरा सम्वंत 2012-2031	प्रदर्श-03
नामांतरकरण	नामांतरकरण	प्रदर्श-04
जमाबंदी	खसरा संख्या 212 सम्वंत 2068-2071	प्रदर्श-05
जमाबंदी	खतौनी बंदोबस्त खाता संख्या 60	प्रदर्श-06
जमाबंदी	खतौनी बंदोबस्त खाता संख्या 100	प्रदर्श-07
-	जाति प्रमाण पत्र सुआ देवी	प्रदर्श-08
-	आधार कार्ड सुआ देवी	प्रदर्श-09
-	आधार कार्ड सुआ देवी (मूल)	प्रदर्श-09 ए
-	पैन कार्ड सुआदेवी	प्रदर्श-10
नक्शा	नक्शा लट्ठा ट्रेस	प्रदर्श-11

5. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए-

नाम	जाति	निवासी	गवाह
सुआदेवी पुत्री दुर्गराम पत्नी प्रागाराम	मेघवाल	आलपुरा	पी0डब्ल्यू-1
किशनाराम पुत्र रूपाराम	जटिया	आलपुरा	पी0डब्ल्यू-2
जोधाराम पुत्र प्रागाराम	मेघवाल	गादेवी	पी0डब्ल्यू-3

6. प्रकरण में सुआदेवी पुत्री दुर्गाराम पत्नी प्रागाराम पी.डब्ल्यू-01, किशनाराम पुत्र रूपाराम पी.डब्ल्यू-02 एवं जोधाराम पुत्र प्रागाराम पी.डब्ल्यू-3 द्वारा हलफनामा प्रस्तुत कर समान रूप से निम्न प्रकार कथन किये-
- कि मुतनाजा आराजी वादीगण के पूर्वज दुर्गाराम की खातेदारी आराजी थी। वादीगण की उक्त पैतृक कब्जे काश्त की आराजी में वादीगण द्वारा 2/5 हिस्से की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी होने के कारण उक्त वाद पेश किया गया है। वर्तमान में उक्त आराजी पर वादीगण काबिज काश्त हैं।
 - कि जमाबंदी खतौनी बंदोबस्त मौजा आलपुरा सम्वंत 2012-2031 प्रदर्श-01, नामांतरकरण संख्या 273 प्रदर्श-02, खतौनी बंदोबस्त मौजा आलपुरा सम्वंत 2012-2031 प्रदर्श-03, नामांतरकरण प्रदर्श-04, खसरा संख्या 212 सम्वंत 2068-2071 प्रदर्श-05, खतौनी बंदोबस्त खाता संख्या 60 प्रदर्श-06, खतौनी बंदोबस्त खाता संख्या 100 प्रदर्श-07, जाति प्रमाण पत्र सुआ देवी प्रदर्श-08, आधार कार्ड सुआ देवी प्रदर्श-09, आधार कार्ड सुआ देवी (मूल) प्रदर्श-09ए, पैन कार्ड सुआदेवी प्रदर्श-10, नक्शा लट्ठा ट्रेस प्रदर्श-11, है।
7. प्रकरण में सुआदेवी पुत्री दुर्गाराम पत्नी प्रागाराम पी.डब्ल्यू-01 ने प्रतिवादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में अभिकथन किया कि यह कहना सही है कि मैं अनपढ हूं। मुझे हिन्दी भाषा बोलना और समझना नहीं आता है। मुझे खेत के खसरा संख्या याद नहीं है। यह कहना सही है कि शपथ पत्र में क्या लिखा है मुझे पता नहीं है। मैंने तो वकील साहब ने कहा वहां अंगुठा किया है। यह बात सही है कि मेरे पैन कार्ड बनाए 12 महीना पहले बनवाया है। यह कहना सही है कि आधार कार्ड मैंने एक माह पहले प्रिंट करवाया। यह कहना सही है कि आधार कार्ड में मेरे पति का नाम प्रागाराम लिखा हुआ है। यह कहना सही है कि जाति प्रमाण चलते दावे के दौरान बनाया है। यह कहना सही है कि प्रदर्श-1 से लगाकर प्रदर्श-8 तक आज से दो रोज पूर्व वकील साहब ने पेश किये थे।
8. प्रकरण में किशनाराम पुत्र रूपाराम पी.डब्ल्यू-02 ने प्रतिवादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में अभिकथन किया कि मेरी जमीन माड़सा के कॉलेज के पास आई हुई है। यह कहना सही है कि माड़सा भगवानाराम से लेन-देन है व पड़ौसी है। यह कहना सही है कि पैसों की जरूरत पड़ती है तो भगवानाराम से पैसे उधार लेते हैं। यह कहना सही है कि माड़सा भगवानाराम तीन भाई है। जिसकी आपस में बनती नहीं है। मुझे मेरे खेत के खसरा संख्या याद नहीं है। यह कहना सही है कि मुझे मेरे पड़ौसी भगवानाराम के खेत खसरा संख्या याद नहीं है। यह कहना सही है कि मुझे बयान दिलवाने के लिये माड़सा भगवानाराम लेकर आए हैं। यह कहना गलत है कि सुआ ने मुझे आने के लिये कहा हो। यह कहना सही है कि शपथ पत्र वकील साहब ने लिखवाया है। शपथ पत्र में जमीन का विवाद है वो लिखवाया है। यह कहना सही है कि पहले शपथ पत्र लिखवाया हुआ था बाद में खाली जगह पर मेरा नाम लिखा। यह कहना सही है कि मेरे और माड़सा भगवानाराम के भाई के बीच जमीन के विवाद को लेकर लड़ाई हुई थी। उस विवाद के कारण आज मैं बयान देने आया हूं।

9. प्रकरण में जोधाराम पुत्र प्रागाराम पी.डब्ल्यू-03 ने प्रतिवादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में अभिकथन किया कि मैं ज्यादा पढा लिखा नहीं हूँ। केवल साक्षर हूँ। गादेवी में मेरे पिताजी के नाम की 22-23 बीघा जमीन आई हुई है। यह कहना सही है कि मेरी बहिने ससुराल जाती है। मेरी चार बहिनें हैं। यह कहना सही है कि शपथ पत्र पहले तैयार था खाली जगह पर मेरा नाम लिखा है। शपथ पत्र पहले कब लिखा था तारीख मुझे याद नहीं है। यह कहना सही है कि शपथ पत्र में वकील साहब ने लिखकर सुनाया था लेकिन अब मुझे याद नहीं है। यह कहना गलत है कि आज मुझे भगवानाराम साथ लेकर आया हो। अज खुद कहा कि हम खुद आए हैं।

10. प्रकरण में वादीगण साक्ष्य के पश्चात् पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में नियत की गई। प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये:-

दस्तावेज	संवत्/विवरण	प्रदर्श
बयनामा	पंजीकृत बयनामा दिनांक 06.11.2020	प्रदर्श डी-01ए
बयनामा	पंजीकृत बयनामा दिनांक 06.11.2020	प्रदर्श डी-02ए

नोट:-साथ ही वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड की प्रतियां भी प्रतिवादी के पक्ष में पढे जाने का निवेदन किया गया।

11. प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए-

नाम	जाति	निवासी	गवाह
पोकरराम पुत्र मेहराराम	मेघवाल	आलपुरा	डी0 डब्ल्यू-1
नरींगाराम पुत्र चुतराराम	मेघवाल	सिंधासवा चौहान	डी0 डब्ल्यू-2
जीवाराम पुत्र मेहराराम	मेघवाल	आलपुरा	डी0 डब्ल्यू-3
भंवराराम पुत्र मागाराम	मेघवाल	आलपुरा	डी0 डब्ल्यू-4

12. प्रकरण में पोकरराम पुत्र मेहराराम डी0डब्ल्यू0-01 द्वारा साक्ष्य केवल साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में पोकरराम पुत्र मेहराराम डी0 डब्ल्यू-2, नरींगाराम पुत्र चुतराराम डी0 डब्ल्यू-3, जीवाराम पुत्र मेहराराम डी0 डब्ल्यू-3 द्वारा चीफ प्रस्तुत कर कथन किया कि-

- कि प्रतिवादी संख्या 01-09 स्व0 दुर्गाराम के वारिसान हैं। परंतु वादीनीगण प्रतिवादी संख्या 01-09 के परिवार की सदस्या नहीं है। वादीनीगण द्वारा गलत सजरा बनाकर प्रस्तुत किया गया है।
- कि स्व0 दुर्गाराम के तीन पुत्र मांगा, मेहरा एवं भगवाना थे। साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा स्व0 दुर्गाराम के फौतगी नामांतरकरण को फ़ैसल करते समय भी इन्हीं तीन पुत्रों को स्व0 दुर्गाराम का विधिक वारिस माना है।
- कि मुतनाजा आराजी पर प्रतिवादी संख्या 01-10 द्वारा आपसी सहमति से विभाजन करते हुए अलग-अलग खसरे कायम करवाकर मौके पर निर्बाध रूप से कब्जा काश्त करते आ रहे हैं। साथ ही मुतनाजा आराजी पर वादीनीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं है। उक्त तथ्य वादीनी द्वारा प्रस्तुत

राजस्व दस्तावेजों से भी साबित होने से वादीनी का उक्त आराजी में कोई हक अधिकार नहीं बनता है।

- कि वादीनीगण स्व० दुर्गराम की प्रथम श्रेणी की वारिसान नहीं है। इस संबंध में स्व० दुर्गराम का फौतगी नामांतरकरण संख्या 304 पारित करते समय ग्राम पंचायत द्वारा कोई विधिक भूल नहीं की गई है।
- कि वादीनीगण द्वारा अपने दावे में यह स्वीकारोक्ति की है कि प्रतिवादी संख्या 01-10 द्वारा मुतनाजा आराजी का विभाजन करवा लिया है तथा स्व० दुर्गराम का फौतगी नामांतरकरण तस्दीक होने के संबंध में भी वादीनीगण को कोई जानकारी नहीं है।
- कि स्व० दुर्गराम की फौतगी के करीब 30 वर्षों के पश्चात् वादीनीगण द्वारा उक्त दावा केवल मनगढत तथ्यों एवं बनावटी पेश किया गया है। साथ ही वादीनीगण द्वारा स्व० दुर्गराम की फौतगी नामांतरकरण के संबंध में इतने अंतराल के पश्चात् भी कोई भी उज्र एतराज किसी भी न्यायालय में पेश नहीं किया गया है।
- कि हस्तगत दावा में वादीनीगण द्वारा स्व० दुर्गराम की वारिसान होने के आधार पर दावा पेश किया गया है। जबकि विधिक वारिस घोषित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं होकर सिविल न्यायालय को है। अतः वादीनीगण का उक्त दावा राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने के कारण काबिल-ए-खारिज है।
- कि वादीनीगण द्वारा स्व० दुर्गराम की विधिक वारिस होने के संबंध में अपने दावे में केवल मौखिक अभिकथन किये हैं। इस संबंध में वादीनीगण द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य अपने दावे के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार वादीनीगण द्वारा मौखिक आधार पर किये गये अभिकथन के आधार पर वादीनीगण का उक्त आराजी में कोई अधिकार नहीं बनने के कारण वादीनीगण का उक्त दावा काबिल-ए-खारिज है।
- कि स्व० दुर्गराम की फौतगी के करीब 30 वर्षों के पश्चात् वादीनीगण द्वारा उक्त दावा केवल मनगढत तथ्यों एवं बनावटी पेश किया गया है। इस प्रकार वादीनीगण का उक्त दावा म्याद बाहर होने से काबिल-ए-खारिज है।
- कि वादीनीगण प्रतिवादी संख्या 01-09 के परिवार की सदस्य नहीं होने के आधार पर उक्त आराजी में कोई हक अधिकार नहीं रखती है। अतः इस आधार पर वादीनीगण प्रतिवादी संख्या 01-09 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारीणी नहीं है।
- कि प्रकरण में वादीनीगण प्रतिवादी संख्या 01-09 के परिवार की सदस्या नहीं है। प्रतिवादी संख्या 01-09 द्वारा प्रतिवादी संख्या 13 को अपने हिस्से की भूमि का बेचान दिनांक 06.11.2020 को प्रतिवादी संख्या 13 के पक्ष में किया गया है। तत्समय से प्रतिवादी संख्या 13 मौके पर काबिज काश्त है। इस कारण वादीगण का उक्त आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। वादीगण का वाद खारिज किया जावे। मैंने मेरे जबाब में प्रदर्श डी-01 बेचान दस्तावेज संख्या 202001092003421 एवं प्रदर्श डी-02 दस्तावेज संख्या 202001092003423 प्रदर्शित करवाई है।

13. प्रकरण में पोकरराम पुत्र मेहराराम डी0डब्ल्यू0-02 से वादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में निम्न प्रकार अभिकथन किया कि:-
- प्रश्न:- आज आप अदालत में क्यों आये हो?
- उत्तर:-पेशी के लिये आया हूँ।
- प्रश्न:- आप को कोनसी फाईल में पेशी लेनी थी?
- उत्तर:- पोकर की फाईल में।
- प्रश्न:- आप जिस फाईल में पेशी पर आये है आप उस फाईल में पक्षकार है ?
- उत्तर:- हाँ।
- प्रश्न:- आप पढे- लिखे है और कितने पढे लिखे है?
- उत्तर:- हाँ, पास्टग्रेजुएशन।
- प्रश्न:- आप ने इस दावे में साक्ष्य शपथ पत्र किस तारीख को पेश किया था?
- उत्तर:- मुझे तारीख याद नहीं है।
- प्रश्न:- क्या शपथ पत्र वकील साहब ने ही तैयार किया?
- उत्तर:- मैंने खुद ने तैयार किया।
- प्रश्न:- शपथ पत्र कितने पृष्ठ का है, और कितनी जगह हस्ताक्षर है?
- उत्तर:- तीन पृष्ठ का शपथ पत्र है और तीन जगह मेरे हस्ताक्षर है।
- प्रश्न:- शपथ पत्र किस बात का दिया ?
- उत्तर:- जमीन का हकनामा में शपथ पत्र दिया है।
- प्रश्न:- जिस प्रकरण में शपथ पत्र दिया है उस प्रकरण का नम्बर याद है?
- उत्तर:- नहीं, अज खुद कहा कि 2023 / 269 है।
- प्रश्न:- आप खेती करते हो?
- उत्तर:- हाँ।
- प्रश्न:- शपथ पत्र में कोन-कोनसे खसरे लिखे है?
- उत्तर:- खसरे सख्या 304,311,214 है।
- प्रश्न:- क्या आप का इन खसरो पर कोई कब्जा कास्त नहीं है?
- उत्तर:-नहीं है।
- प्रश्न:- वादिनी सुआ और समु ये दोनो खातेदार दुर्गा की जाईन्दा और धर्मज संतान है?
- उत्तर:- नहीं है।
- प्रश्न:- खातेदार दुर्गा के कितनी सन्तान है?
- उत्तर:- तीन सन्तान है।
- प्रश्न:- दावे में उल्लेखित खसरान कि भूमि भू प्रबन्ध के समय दुर्गा के नाम दर्ज हुई थी?
- उत्तर:- हाँ हुई थी।
- प्रश्न:- खातेदार दुर्गा कब फौत हुआ था?
- उत्तर:- 1992 में फौत हुआ था।
- प्रश्न:- खसरे सख्या 304,311,214 इन तीनों खसरो का रकबा याद है ?
- उत्तर:- हा याद है।
- प्रश्न:- खसरे सख्या 304,311,214 इन तीनों खसरो का क्षेत्रफल कितना है?
- उत्तर:- इन तीनों खसरो का क्षेत्रफल मैं कन्फ्युज हूँ।
- प्रश्न:- दावे में वर्णीत विवादित आराजी सहदायीकी सम्पति है?
- उत्तर:- नहीं है।
- प्रश्न:- क्या विवादित आराजी पैतृक है?

उत्तर:- पैतृक है।

प्रश्न:- पैतृक सम्पत्ति का बेचान सवर्ण जाति के व्यक्ति को किया?

उत्तर:- नहीं किया।

प्रश्न:- पैतृक सम्पत्ति जो दावे में वर्णित है जिसमें से कुछ भूमि पे सवर्ण जाति के व्यक्ति का कब्जा है?

उत्तर:- हाँ है।

प्रश्न:- क्या यह कहना सही है कि वादिनीगण का विवादित भूमि में हित निहित है?

उत्तर:- नहीं है।

प्रश्न:- यह दावा वादिनी ने कब और किस तारीख को दर्ज करवाया तारीख याद है क्या ?

उत्तर:- अभी मुझे याद नहीं है।

प्रश्न:- सपथ पत्र का सत्यापन आप ने किन वकील साहब के पास में करवाया?

उत्तर:- वकील साहब रामजीवनजी।

प्रश्न:- क्या यह कहना सही है कि आप का इस दावे में कोई हित नहीं है ?

उत्तर:- हित है।

प्रश्न:- वादिनी ने किन-किन धाराओं और कौनसे कानून के तहत दावा दर्ज करवाया?

उत्तर:- याद नहीं है।

14. प्रकरण में नरींगाराम पुत्र चुतराराम डी0डब्ल्यू0-03 से वादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में निम्न प्रकार अभिकथन किया कि:-

प्रश्न:-क्या आप खेती किसानी करते हैं?

उत्तर:-हां मैं खेती का काम करता हूँ।

प्रश्न:-क्या आप अनपढ़ हैं?

उत्तर:-मैं अनपढ़ नहीं हूँ, 12वीं तक पढ़ा हुआ हूँ।

प्रश्न:-क्या आप वादपत्र में वर्णित भूमि क्रय करना चाहते हैं?

उत्तर:-वादपत्र में वर्णित भूमि मेरे पहले से ही खरीदी हुई है।

प्रश्न:-क्या आपने विवादित भूमि का विक्रय इकरार किया है?

उत्तर:-प्रश्न मेरे समझ में नहीं आया।

प्रश्न:-आप आज अदालत क्यों आए हैं?

उत्तर:-मेरी भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं।

प्रश्न:-फाइल का टाइटल व नम्बर कितना है?

उत्तर:-मुझे याद नहीं है।

प्रश्न:-विवादित आराजी कहां आई हुई है?

उत्तर:-आलपुरा।

प्रश्न:-आपका खुद का गांव कोनसा है?

उत्तर:-मेरा गांव सिंधासवा चौहान है।

प्रश्न:-विवादित आराजी में खातेदार से आपके क्या संबंध है?

उत्तर:-मेरे कोई संबंध नहीं है।

प्रश्न:-खातेदार दुर्गा के कितनी धर्मज संतान है?

उत्तर:-तीन।

प्रश्न:-क्या सभी धर्मज संताने वर्तमान में जीवित है?

उत्तर:-हां

प्रश्न:—नामान्तरकरण क्या होता है?
उत्तर:—नामान्तरकरण जो रजिस्ट्री करवाते है।
प्रश्न:—खातेदार दुर्गा का देहांत कब हुआ था?
उत्तर:— दुर्गाराम का लगभग सन 1992 में देहांत हुआ था।
प्रश्न:—क्या खातेदार दुर्गा निर्वसयीयत या वसीयती फौत हुए थे?
उत्तर:— मुझे पता नहीं।
प्रश्न:—क्या विवादित भूमि संयुक्त परिवार की कृषि आराजी है?
उत्तर:— हां।
प्रश्न:—विवादित भूमि के खसरा, रकबा याद है?
उत्तर:—खसरा व रकबा याद नहीं है।
प्रश्न:—क्या सुआदेवी, दुर्गा की जायंदा और धर्मज संतान है?
उत्तर:—जानकारी नहीं है।
प्रश्न:—सुआदेवी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में कितने पद अंकित है तथा क्या इस्तदुआ चाही है?
उत्तर:—मुझे पता नहीं
प्रश्न:—मेघा हाईवे से लगती भूमि के खसरा संख्या याद है क्या?
उत्तर:—खसरा संख्या याद नहीं है।
प्रश्न:—क्या सुआदेवी खातेदार दुर्गा की पुत्री है?
उत्तर:—मेरी जानकारी में नहीं है।
प्रश्न:—क्या विवादित भूमि का प्रतिवादी पोकरा या इनके भाईयों ने बेचान किया है?
उत्तर:—हां।
प्रश्न:—शपथ पत्र में कितनी लाईने और कितने पद शब्द अंकित है?
उत्तर:—मुझे पता नहीं है।
प्रश्न:—शपथ पत्र वकील साहब द्वारा तैयार किया आपने केवल हस्ताक्षर किये क्या यह बात सही है?
उत्तर:—मैंने तैयार करवाया।
प्रश्न:—शपथ पत्र में हस्ताक्षर कितने स्थानों पर और किसने किये?
उत्तर:— तीन जगह हस्ताक्षर है और मैंने खुद किये है।
प्रश्न:—शपथ पत्र किस बात के लिए दावे में दिया गया है?
उत्तर:—मेरी भूमि एव मेरा कब्जा दो।
प्रश्न:—आपने कौनसी तारीख को साक्ष्य शपथ पेश किये थे?
उत्तर:—तारीख मुझे याद नहीं है।

15. प्रकरण में जीवाराम पुत्र मेहराराम डी0डब्ल्यू0-04 से वादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में निम्न प्रकार अभिकथन किया कि:—

प्रश्न:— क्या विवादित भूमि सयुक्त परिवार की कृषि आराजी है क्या?
उत्तर:— पता नहीं है।
प्रश्न:— विवादित भूमि के खसरा व रकबा याद है क्या?
उत्तर:— नहीं याद है।
प्रश्न:— सुआ देवी दुर्गा की जाईन्दा और धर्मज सन्तान है?
उत्तर:— नहीं ।
प्रश्न:— सुआ देवी के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मे कितने पद अंकित है और क्या इस्तदुआ चाही है?

उत्तर:- याद नहीं है।

प्रश्न:- शपथ पत्र वकिल साहब द्वारा तैयार किया गया है आपने तो केवल हस्ताक्षर किये है क्या यह बात सही है?

उत्तर:-सही बात है।

प्रश्न:- शपथ पत्र में कितने पृष्ठ है और कितने पद है?

उत्तर:- दो पेजो का शपथ पत्र है , लेकिन पद पता नहीं है।

प्रश्न:- आपने कौनसी तारीख को शपथ पत्र पेश किया है?

उत्तर:- तारीख याद नहीं है।

प्रश्न:- आप आज किसके कहने पर कोर्ट में हाजिर हुये?

उत्तर:- किसी के कहने पर नहीं आया।

प्रश्न:- क्या सुआ देवी विवादित आराजी के खातेदार दुर्गा की पुत्री है?

उत्तर:- नहीं है।

प्रश्न:- शपथ पत्र में कौनसे खसरे लिखे है ?

उत्तर:- पता नहीं।

प्रश्न:- क्या विवादित आराजी पैतृक सम्पति है?

उत्तर:- ध्यान नहीं है मुझे।

प्रश्न:- दावे में वर्णित विवादित आराजी सहददायीकी सम्पति है?

उत्तर:- पता नहीं।

प्रश्न:- दावे में वर्णित विवादित भूमि पर किसी सवर्ण व्यक्ति का कब्जा है?

उत्तर:- नहीं है।

प्रश्न:- विवादित भूमि हाईवे पर आई हुई है, और वादिनीगण का विवादित भूमि में हीत नियत है क्या?

उत्तर:- पता नहीं है।

प्रश्न:- आप कहा तक पढ़े लिखे हो ?

उत्तर:- दो-तीन तक पढ़ा हूँ।

प्रश्न:- आपने जिस प्रकरण में जो शपथ पत्र पेश किया है उसके प्रकरण संख्या कितने है?

उत्तर:- याद नहीं है।

प्रश्न:- विवादित आराजी कहा आई हुई है?

उत्तर:- आलपुरा में आई हुई है।

प्रश्न:- विवादित आराजी किसी सवर्ण व्यक्ति को बेचान की हुई है क्या ?

उत्तर:- बेची हुई है।

प्रश्न:- आपके द्वारा शपथ पत्र पेश कोनसी फाईल में किया है, फाईल का अनुदान याद है क्या?

उत्तर:- पता नहीं है।

प्रश्न:- दावे में विवादित भूमि पर किस धाराओं के तहत वाद पेश किया है?

उत्तर:- धारा याद नहीं है।

प्रश्न:- विवादित भूमि पैतृक सम्पति है ये विवाद क्यों उत्पन्न हुआ और किस लिये कोर्ट में आये?

उत्तर:- ये भूमि पैतृक है, विवाद पता नहीं है , कोर्ट में क्यों आये है पता नहीं है।

16. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा निम्न प्रकार निवेदन किया:-

- उक्त आराजी में वादीगण के पिता दुर्गा के हिस्से में प्रत्येक वादीगण संख्या 01 से 02 का 1/5-1/5 हिस्सा घोषित किया जाकर सहखातेदार घोषित किया जावे।
- वादीगण के हक हिस्से में से प्रतिवादी संख्या 01-09 द्वारा प्रतिवादी संख्या 13 के पक्ष में निष्पादित बयनामा दिनांक 06.11.2020 वादीगण के अधिकारों के प्रति आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 13 के पक्ष में बयनामा दिनांक 06.11.2020 के आधार पर फैसल किये गये नामांतरकरण को निरस्त करवाकर राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी संख्या 06.11.2020 का नाम कलमजन किया जावे।
- वादीगण के हिस्सों के अतिरिक्त वादीगण के पिता दुर्गा के हिस्से की भूमि का वादीगण का वादीगण के पिता दुर्गा के प्रथम श्रेणी के वारिसान होने के आधार पर प्रतिवादी संख्या 13 के अजनबी क्रेता से पहले खरीदने का अधिकारी होने के कारण प्रतिवादी संख्या 13 को स्थायी निषेधाज्ञा के मार्फत निर्देश दिया जावे कि प्रतिवादी संख्या 13 उक्त हिस्से की आराजी का बेचान वादीगण के पक्ष में बयनामा निष्पादित करवाये।
- वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

17. पत्रावली पर दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा दौरान-ए-बहस बहस निम्न प्रकार निवेदन किया:-

- कि प्रतिवादी संख्या 01-09 स्व0 दुर्गाराम के वारिसान हैं। परंतु वादीनीगण प्रतिवादी संख्या 01-09 के परिवार की सदस्या नहीं है। वादीनीगण द्वारा गलत सजरा बनाकर प्रस्तुत किया गया है।
- कि वादीनीगण स्व0 दुर्गाराम की प्रथम श्रेणी की वारिसान नहीं है। इस संबंध में स्व0 दुर्गाराम का फौतगी नामांतरकरण संख्या 304 पारित करते समय ग्राम पंचायत द्वारा कोई विधिक भूल नहीं की गई है।
- कि वादीनीगण द्वारा अपने दावे में यह स्वीकारोक्ति की है कि प्रतिवादी संख्या 01-10 द्वारा मुतनाजा आराजी का विभाजन करवा लिया है तथा स्व0 दुर्गाराम का फौतगी नामांतरकरण तस्दीक होने के संबंध में भी वादीनीगण को कोई जानकारी नहीं है।
- कि स्व0 दुर्गाराम की फौतगी के करीब 30 वर्षों के पश्चात् वादीनीगण द्वारा उक्त दावा केवल मनगढत तथ्यों एवं बनावटी पेश किया गया है। साथ ही वादीनीगण द्वारा स्व0 दुर्गाराम की फौतगी नामांतरकरण के संबंध में इतने अंतराल के पश्चात् भी कोई भी उज्र एतराज किसी भी न्यायालय में पेश नहीं किया गया है।
- कि हस्तगत दावा में वादीनीगण द्वारा स्व0 दुर्गाराम की वारिसान होने के आधार पर दावा पेश किया गया है। जबकि विधिक वारिस घोषित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं होकर सिविल न्यायालय को है। अतः वादीनीगण का उक्त दावा राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने के कारण काबिल-ए-खारिज है।
- कि वादीनीगण द्वारा स्व0 दुर्गाराम की विधिक वारिस होने के संबंध में अपने दावे में केवल मौखिक अभिकथन किये हैं। इस संबंध में वादीनीगण द्वारा

किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य अपने दावे के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार वादीनीगण द्वारा मौखिक आधार पर किये गये अभिकथन के आधार पर वादीनीगण का उक्त आराजी में कोई अधिकार नहीं बनने के कारण वादीनीगण का उक्त दावा काबिल-ए-खारिज है।

- कि प्रतिवादीगण संख्या 01-09 द्वारा अपने हिस्से की भूमि का पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर बेचान दिनांक 06.11.2020 को प्रतिवादी संख्या 13 के पक्ष में किया गया है। इस प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 01-09 द्वारा प्रतिवादी संख्या 13 को उक्त आराजी का विधिसम्मत बेचान किया जाकर कब्जा सुपुर्द किया है। इस कारण प्रतिवादी संख्या 13 का कब्जा एवं स्वामित्व विधिसम्मत होने के कारण वादीगण को प्रतिवादी संख्या 13 का कब्जा हटाने, बेदखल करने व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है।
- कि प्रतिवादीगण संख्या 01-09 द्वारा प्रतिवादी संख्या 13 को उक्त आराजी का विधिसम्मत बेचान को आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित करवाने का तनकी चाहा गया है। विवादित बेचान बाबत उक्त तनकी पर सिर्फ दीवानी न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इस बाबत राजस्व न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार व अधिकारिता नहीं है।

18. मैंने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अब प्रकरण का तनकीवार विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में सर्वप्रथम तनकी संख्या 03 के संबंध में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 03 निम्न प्रकार है:-

3. आया वादी के दुर्गाराम की वारिस नहीं होने के कारण दावा वादी काबिल-ए-खारिज है?

.....प्रतिवादी संख्या 01-09

19. प्रकरण में तनकी संख्या 03 को साबित करने का भार वादी पर है। प्रकरण का मुख्य विवाद का बिन्दु यह है कि वादी सुआ देवी एवं समु देवी दुर्गाराम पुत्र अंबाराम की पुत्री है अथवा नहीं। साथ ही दूसरा विवाद का बिन्दु है कि प्रतिवादी संख्या 01 व 09 द्वारा मुतनाजा आराजी में से प्रतिवादी संख्या 13 को किया गया बेचान विधिसंगत है अथवा नहीं। वादी के दावे का मुख्य आधार यह है कि वादी, दुर्गाराम पुत्र अंबाराम की विधिक वारिस है। जबकि प्रतिवादी का मुख्य खण्डन है कि वादी, दुर्गाराम पुत्र अंबाराम की वारिस नहीं है।

20. प्रकरण में उक्त तनकी पर अग्रिम विश्लेषण से पूर्व सिविल मामलों में संबंधित पक्षों के दावे व खण्डन के संबंध में साबित करने के भार के संबंध में कानूनी स्थिति का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 के प्रासंगिक प्रावधानों का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 के प्रासंगिक प्रावधानों का उद्धरण निम्न प्रकार है-

OF THE BURDEN OF PROOF

104. Burden of proof.—Whoever desires any Court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts must prove that those facts exist, and when a person is bound to

prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person.

Illustrations.

(a) A desires a Court to give judgment that B shall be punished for a crime which A says B has committed. A must prove that B has committed the crime.

(b) A desires a Court to give judgment that he is entitled to certain land in the possession of B, by reason of facts which he asserts, and which B denies, to be true. A must prove the existence of those facts.

105. On whom burden of proof lies.—The burden of proof in a suit or proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given on either side.

Illustrations.

(a) A sues B for land of which B is in possession, and which, as A asserts, was left to A by the will of C, B's father. If no evidence were given on either side, B would be entitled to retain his possession. Therefore, the burden of proof is on A.

(b) A sues B for money due on a bond. The execution of the bond is admitted, but B says that it was obtained by fraud, which A denies. If no evidence were given on either side, A would succeed, as the bond is not disputed and the fraud is not proved. Therefore, the burden of proof is on B.

106. Burden of proof as to particular fact.—The burden of proof as to any particular fact lies on that person who wishes the Court to believe in its existence, unless it is provided by any law that the proof of that fact shall lie on any particular person.

Illustration.

A prosecutes B for theft, and wishes the Court to believe that B admitted the theft to C. A must prove the admission. B wishes the Court to believe that, at the time in question, he was elsewhere. He must prove it.

107. Burden of proving fact to be proved to make evidence admissible.—The burden of proving any fact necessary to be proved in order to enable any person to give evidence of any other fact is on the person who wishes to give such evidence.

Illustrations.

(a) A wishes to prove a dying declaration by B. A must prove B's death.

(b) A wishes to prove, by secondary evidence, the contents of a lost document. A must prove that the document has been lost.

21. इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 2413/2006 उनवान में निर्णय दिनांक 02.05.2006 में साक्ष्य अधिनियम-1887 के प्रासंगिक प्रावधानों की विवेचना करते हुए किसी दावे में साबित करने के भार के बारे में विस्तृत विवेचना करते हुए न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किया है। उक्त न्यायिक दृष्टांत के प्रासंगिक विवेचन का उद्धरण निम्न प्रकार है—

The initial burden of proof would be on the plaintiff in view of Section 101 of the Evidence Act, which reads as under:-

"Sec. 101. Burden of proof.- Whoever desires any Court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts, must prove that those facts exist.

When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person."

In terms of the said provision, the burden of proving the fact rests on the party who substantially asserts the affirmative issues and not the party who denies it. The said rule may not be universal in its application and there may be exception thereto.....

Pleading is not evidence, far less proof. Issues are raised on the basis of the pleadings. The defendant-appellant having not admitted or acknowledged the fiduciary relationship between the parties, indisputably, the relationship between the parties itself would be an issue. The suit will fail if both the parties do not adduce any evidence, in view of Section 102 of the Evidence Act. Thus, ordinarily, the burden of proof would be on the party who asserts the affirmative of the issue and it rests, after evidence is gone into, upon the party against whom, at the time the question arises, judgment would be given, if no further evidence were to be adduced by either side.

xxx

There is another aspect of the matter which should be borne in mind. A distinction exists between a burden of proof and onus of proof. The right to begin follows onus probandi. It assumes importance in the early stage of a case. The question of onus of proof has greater force, where the question is which party is to begin. Burden of proof is used in three ways : (i) to indicate the duty of bringing forward evidence in support of a proposition at the beginning or later; (ii) to make that of establishing a proposition as against all counter evidence; and (iii) an indiscriminate use in which it may mean either or both of the others. The elementary rule is Section 101 is inflexible. In terms of Section 102 the initial onus is always on the plaintiff and if he discharges that onus and makes out a case which entitles him to a relief, the onus shifts to the defendant to prove those circumstances, if any, which would disentitle the plaintiff to the same.

In R.V.E. Venkatachala Gounder v. Arulmigu Viswesaraswami & V.P. Temple and Anr., the law is stated in the following terms :


"29. In a suit for recovery of possession based on title it is for the plaintiff to prove his title and satisfy the court that he, in law, is entitled to dispossess the defendant from his possession over the suit property and for the possession to be restored to him. However, as held in A. Raghavamma v. A. Chenchamma there is an essential distinction between burden of proof and onus of proof:

burden of proof lies upon a person who has to prove the fact and which never shifts. Onus of proof shifts. Such a shifting of onus is a continuous process in the evaluation of evidence. In our opinion, in a suit for possession based on title once the plaintiff has been able to create a high degree of probability so as to shift the onus on the defendant it is for the defendant to discharge his onus and in the absence thereof the burden of proof lying on the plaintiff shall be held to have been discharged so as to amount to proof of the plaintiff's title."

22. प्रकरण में भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 के प्रासंगिक प्रावधानों तथा उक्त न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन करने पर कानूनी स्थिति स्पष्ट होती है कि जहां आपराधिक प्रकरणों में निर्णयन संदेहरहित प्रमाणन के आधार पर किया जाता है। वही सिविल प्रकृति के मामलों में संभावनाओं की प्रबलता/प्रधानता के आधार पर निर्णयन किया जाता है। साथ ही यह भी कानूनी स्थिति है कि दावे के अभिवचन साक्ष्य नहीं होते हैं। दावाकर्त्ता व्यक्ति को अपने दावे के समर्थन में पृथक से साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए अपने दावे के तथ्य को साबित करने का दायित्व होता है।
23. इसके साथ ही यह भी कानूनी स्थिति स्पष्ट होती है कि सबूत का भार (Burden of Proof) तथा प्रमाण का भार (Onus of Proof) में अंतर है। किसी सिविल दावे में सबूत का भार (Burden of Proof) प्रमुखतः वादी पर होता है। सबूत का भार (Burden of Proof) स्थानांतरित नहीं होता है। जबकि प्रमाण का भार (Onus of Proof) स्थानांतरित होता है। किसी सिविल दावे में किसी तथ्य को साबित करने का भार (Burden of Proof) उस तथ्य के आधार पर दावा करने वाले व्यक्ति पर होता है। जब किसी तथ्य को किसी व्यक्ति द्वारा प्रमाण का भार (Onus of Proof) पूर्ण करते हुए साबित करने का दायित्व पूर्ण किया जाता है तो प्रमाण का भार (Onus of Proof) प्रतिद्वंदी पर आ जाता है। अब प्रतिद्वंदी को उक्त तथ्य विशेष के खण्डन हेतु साबित करने का भार (Onus of Proof) होने के कारण अगर प्रमाण प्रस्तुत करते हुए प्रमाणन का भार (Onus of Proof) पूर्ण किया जाता है तो प्रमाण का भार (Onus of Proof) वापस स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार प्रमाण का भार (Onus of Proof) स्थानांतरित होता रहता है। यह एक अनवरत प्रक्रिया है। जो व्यक्ति प्रमाणन का भार (Onus of Proof) का दायित्व पूर्ण करने में असफल रहता है उसके विरुद्ध उक्त तथ्य को साबित माना जाता है।
24. इस प्रकार उक्त कानूनी स्थिति के संदर्भ में प्रकरण के तथ्यों का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि प्रकरण में निहित विवाद का आधार बिन्दु यह है कि वादीनीगण दुर्गाराम पुत्र अंबाराम की पुत्री है अथवा नहीं। वादी के दावे का मुख्य आधार यह है कि वादी, दुर्गाराम पुत्र अंबाराम की विधिक वारिस है जबकि प्रतिवादी का मुख्य खण्डन है कि वादी, दुर्गाराम पुत्र अंबाराम की वारिस नहीं है। इस संबंध में उक्त तथ्य को साबित करने का भार वादी पर है। इस संबंध में वादी द्वारा अपने दावे के अभिवचन में उल्लेखित किया है कि दुर्गाराम पुत्र अंबाराम की विधिक वारिस वादी है। यहां उल्लेखनीय है कि कानूनी स्थिति है कि दावे के अभिवचन साक्ष्य नहीं होते हैं। दावाकर्त्ता व्यक्ति को अपने दावे के समर्थन में पृथक से साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए अपने दावे के तथ्य को साबित करने का दायित्व होता है। अतः केवल दावे के अभिवचन के आधार पर ही वादी को दुर्गाराम पुत्र अंबाराम की पुत्री होने के तथ्य को साबित नहीं माना जा सकता है। वादी के दावे के उक्त अभिवचन का प्रतिवादी द्वारा अपने जवाबदावे में स्पष्ट व विशेष खण्डन किया है। प्रतिवादी के द्वारा उक्त तथ्य के स्पष्ट व विशेष खण्डन की स्थिति में वादी द्वारा उक्त तथ्य को साक्ष्य के माध्यम से प्रमाणित किया जाना और आवश्यक हो जाता है।
25. अब प्रकरण में उक्त तथ्य के संबंध में वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में वादी द्वारा हलफनामा प्रस्तुत किया है। उक्त

हलफनामे में वादी ने अभिकथन किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01-10 दुर्गाराम पुत्र अंबाराम के वारिसान है। परंतु वादी द्वारा वादी गवाह के प्रतिपरीक्षण में दुर्गाराम पुत्र अंबाराम के वारिसान होने के संबंध में कोई अभिकथन नहीं किया है। इस प्रकार वादी द्वारा इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते हुए केवल मौखिक साक्ष्य के माध्यम से साबित करने का प्रयास किया है कि वादी भी दुर्गाराम पुत्र अंबाराम की पुत्री है।

26. प्रकरण में वादी के हलफनामा के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादी को प्रतिवादी के परिवार के बारे में पूर्ण जानकारी है। वादी द्वारा दुर्गाराम पुत्र अंबाराम के परिवार की वंशावली का विवरण दिया है, उसको प्रतिवादी ने अस्वीकार किया है। अर्थात् वादी को प्रतिवादी के परिवार के बारे में पूर्ण जानकारी होना प्रतीत नहीं होता है। इस संबंध में भी वादी द्वारा साक्ष्य प्रतिपरीक्षण में कोई सवाल नहीं किया गया है। वादी को दुर्गाराम पुत्र अंबाराम के परिवार के बारे में इतनी जानकारी नहीं होना तथा उक्त जानकारी को प्रतिवादी के द्वारा स्वीकार किया जाना या स्पष्ट खण्डन करना अपने आप में वादी को दुर्गाराम पुत्र अंबाराम के परिवार के सदस्य होने के तथ्य को साबित नहीं करता है। इस प्रकार वादी अपने उपर आरोपित दुर्गाराम पुत्र अंबाराम की पुत्री होने के तथ्य के प्रमाणन के भार को निर्वहन करने में असफल रही है। इससे प्रमाणन का भार प्रतिवादी के उपर स्थानांतरित नहीं होता है।
27. इस संबंध में प्रतिवादी के गवाहों के प्रतिपरीक्षण का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में प्रतिवादी द्वारा हलफनामा प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी दुर्गाराम के तीन पुत्रों मांगा, मेहरा व भगवाना की पुश्तैनी आराजी है। जिस पर प्रतिवादी संख्या 01 ता 10 का कब्जा काश्त है। साथ ही प्रतिवादी के गवाहों के प्रतिपरीक्षण में पोकरराम पुत्र मेहराराम डी0डब्ल्यू0-02, नरींगाराम पुत्र चुतराराम डी0डब्ल्यू0-03 एवं जीवाराम पुत्र मेहराराम डी0डब्ल्यू0-04 द्वारा कथन किया गया है कि दुर्गाराम की तीन धर्मज संतान है एवं वादी दुर्गा की धर्मज संतान नहीं है। इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा अपने हलफनामे के मौखिक कथनों एवं गवाहों के प्रतिपरीक्षण में समान रूप से अभिकथन किये हैं। इस संबंध में प्रतिवादी के उपर आरोपित प्रमाणन का भार को निर्वहन करने में प्रतिवादी सफल रहे है। अब प्रमाणन का भार वादी पर है कि वह वादी के दुर्गाराम पुत्र अंबाराम की पुत्री होने के तथ्य को सकारात्मक रूप से प्रमाणित करे।
28. प्रकरण में प्रतिवादी गवाहों के प्रतिपरीक्षण में वादी को दुर्गाराम की पुत्री नहीं माने जाने के अभिकथन के संबंध में वादी द्वारा कोई और कोई स्पष्ट अभिकथन नहीं किये हैं। साथ ही प्रतिवादी गवाहों से वादी के पुनः परीक्षण भी शून्य रहे हैं। इस प्रकार वादी के प्रतिवादी गवाहों द्वारा वादी को दुर्गाराम की पुत्री नहीं माने जाने के अभिकथन को वादी खण्डन करने में असफल रहे हैं। इससे प्रमाणन का भार वापस प्रतिवादी के उपर स्थानांतरित नहीं होता है। साथ ही वादी द्वारा प्रस्तुत हाजा अदालत में उभयपक्षकारान के मध्य एक अन्य प्रकरण संख्या 2023/269 बउनवान सुआ बनाम भंवराराम विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में दुर्गाराम पुत्र अंबाराम का सजरा निम्न प्रकार है:-



29. इस प्रकार दुर्गराम के तीन पुत्र व तीन पुत्रियां वारिस अभिकथित करते हुए दावा प्रस्तुत किया है। जबकि हस्तगत दावा में वादी द्वारा स्व० दुर्गराम के तीन पुत्र एवं दो पुत्रियां अभिकथित करते हुए दावा प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार वादी स्वयं द्वारा प्रस्तुत दावा में स्व० दुर्गराम की विधिक संतानों को लेकर विरोधाभास स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि वादी को स्व० दुर्गराम की विधिक संतानों की सम्पूर्ण जानकारी नहीं है। इस प्रकार वादी स्वयं के स्व० दुर्गराम की विधिक वारिसान होने के कथन को स्पष्ट रूप से माना जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

30. इस प्रकार उक्त विश्लेषण से ज्ञात होता है कि वादी को दुर्गराम पुत्र अंबाराम के परिवार के बारे में प्राप्त जानकारी का प्रतिवादी के द्वारा अस्वीकार किया जाना या स्पष्ट खण्डन करना अपने आप में वादीगण को दुर्गराम पुत्र अंबाराम के परिवार के सदस्य होने के तथ्य को साबित नहीं करता है। इस प्रकार केवल मौखिक साक्ष्य के माध्यम से वादी अपने उपर आरोपित दुर्गराम पुत्र अंबाराम की पुत्री होने के तथ्य के प्रमाणन के भार को निर्वहन करने में असफल रही है। इससे अब प्रमाणन का भार प्रतिवादी के उपर स्थानांतरित नहीं होता है। साथ ही प्रतिवादी द्वारा इस संबंध में प्रतिवादी गवाह के प्रतिपरीक्षण में यह स्पष्ट रूप से इनकार किया है कि वादी दुर्गराम पुत्र अंबाराम की पुत्री नहीं है। इस संबंध में प्रतिवादी के उपर आरोपित प्रमाणन का भार को निर्वहन करने में प्रतिवादी सफल रहे है। इससे प्रमाणन का भार वादी के उपर स्थानांतरित होता है। इस प्रकार वादीगण अपने उपर आरोपित दुर्गराम पुत्र अंबाराम की पुत्री होने के तथ्य को उक्तानुसार साबित करने में असफल रही है। इस प्रकार वादीगण को दुर्गराम पुत्र अंबाराम की ही पुत्री माना

जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार तनकी संख्या 03 प्रतिवादी के पक्ष में फैसल की जाती है।

31. प्रकरण में अब तनकी संख्या 01 पर विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 01 निम्न प्रकार है:—

1. उक्त वादीगण मुतनाजा आराजी पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम-1956 की धारा-08 के तहत पैतृक आराजी होकर दुर्गराम की वारिश होने के आधार पर प्रत्येक के 1/5-1/5 हिस्से के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है।

.....वादी

32. अब प्रकरण में तनकी संख्या 01 पर विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 01 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम-1956 की धारा-08 के तहत वादीनी की पैतृक आराजी में स्व0 दुर्गराम की विधिक वारिस होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा से संबंधित है। इस संबंध में तनकी संख्या 03 के वादी के विरुद्ध फैसल होने से तनकी संख्या 01 पर पृथक से विवेचन किया जाना अपेक्षित नहीं है। अतः तनकी संख्या 01 भी वादी के विरुद्ध फैसल की जाती है।

33. अब तनकी संख्या 07 के संबंध में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 07 निम्न प्रकार है:—

7. आया मुतनाजा आराजी के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम-1956 की धारा-06 के संशोधन से पूर्व विभाजन होने तथा विभाजित आराजी में से प्रतिवादी संख्या 13 के पंजीबद्ध बयनामा दिनांक 06.11.2020 के जरिये सद्भावी क्रेता होने के कारण दावा वादी काबिल-ए-खारिज है?

.....प्रतिवादी संख्या 13

34. प्रकरण में तनकी संख्या 07 को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 13 के उपर है। उक्त तनकी संख्या 07 प्रतिवादी संख्या 01-09 द्वारा प्रतिवादी संख्या 13 को किये गये मुतनाजा आराजी में से 04 बीघा आराजी के अंतरण को चुनौती देने से संबंधित हैं। प्रकरण में तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों का विश्लेषण आवश्यक है। उक्त अनुतोष के अवलोकन से अनुतोष में समाहित अनेक पक्ष व बिंदु सामने आते हैं। अतः उक्त अनुतोष का निर्णयन किये जाने से पूर्व अनुतोष में समाहित अनेक निम्न पक्ष व बिंदुओं का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है:—

1. वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01-09 का हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य होना।
2. मुतनाजा आराजी का पैतृक संपत्ति होना।
3. वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01-09 का पैतृक आराजी में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम-1955 की धारा-06 के तहत सहदायक होना।
4. वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01-09 का पैतृक आराजी में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम-1955 की धारा-06 के

तहत सहदायक होने के आधार पर अधिकार निहित होना।

5. प्रतिवादी संख्या 01-09 का अपने परिवार के कर्ता/मुखिया होना।
6. प्रतिवादी संख्या 01-09 द्वारा बेचान के विधिक आवश्यकताओं के लिए किया गया होना।

35. प्रकरण में प्रथम अनुतोष के विश्लेषण से पूर्व हिन्दू उत्तराधिकार से संबंधित संकल्पनाओं व कानून के निम्न बिंदुओं का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है:-

1. हिन्दू संयुक्त परिवार एवं संपत्ति की संकल्पना/अवधारणा।
2. पैतृक संपत्ति की संकल्पना/अवधारणा।
3. सहदायिकी एवं सहदायिकी संपत्ति की संकल्पना/अवधारणा।
4. सहदायिकी संपत्ति में सहदायक के अधिकार की संकल्पना/अवधारणा।
5. हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता/मुखिया की संकल्पना/अवधारणा।
6. हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता/मुखिया के प्राधिकार की संकल्पना/अवधारणा।
7. हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता/मुखिया की सहदायिकी संपत्ति के अंतरण की संकल्पना/अवधारणा।
8. सहदायिकी संपत्ति के अंतरण हेतु आवश्यक परिस्थितियों की संकल्पना/अवधारणा।
9. हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता/मुखिया की सहदायिकी संपत्ति के अंतरण किये जाने पर क्रेता के कर्तव्य की संकल्पना/अवधारणा।
10. हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता/मुखिया की सहदायिकी संपत्ति के अंतरण के विरुद्ध सहदायक को उपलब्ध विकल्प/उपचार की संकल्पना/अवधारणा।

36. प्रकरण में सर्वप्रथम हिन्दू विधि के तहत सर्वप्रथम हिन्दू संयुक्त परिवार एवं हिन्दू संयुक्त परिवार द्वारा धारित संपत्ति की संकल्पना/अवधारणा के संबंध में कानून/विधि की स्थिति को समझना अपरिहार्य है। हिन्दू संयुक्त परिवार एवं हिन्दू संयुक्त परिवार द्वारा धारित संपत्ति की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव है:-

1. हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार में सभी परिवार के सदस्य का एक पुरुष पूर्वज होना आवश्यक है।
2. हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार में सभी पुरुष, उनकी पत्नियां, माताएं एवं अविवाहित पुत्री शामिल होती है।
3. हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार में शामिल अविवाहित पुत्री का विवाह होते ही वह पति के संयुक्त हिन्दू परिवार का सदस्य बनकर शामिल हो जाती है तथा पिता के संयुक्त हिन्दू परिवार से अलग हो जाती है।

4. हिन्दू विधि में बिना संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति के भी संयुक्त हिन्दू परिवार अस्तित्व में आ सकता है।
 5. हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य एक दुसरे से रिश्ते के आधार पर एकता में बंधे रहते हैं।
 6. हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य एक दुसरे से रिश्ते के साथ-साथ भोजन एवं पूजा में भी एकता में बंधे रहते हैं।
 7. हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार विधि द्वारा सृजित ईकाई है। किन्ही सदस्यों के द्वारा आपस में संयुक्त हिन्दू परिवार का सृजन नहीं किया जा सकता है।
 8. हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार में गोद द्वारा नये सदस्य जोड़े जा सकते हैं।
 9. हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार में किसी पुरुष सदस्य के नहीं होने की स्थिति में परिवार के अंत को रोकने हेतु गोद द्वारा नये सदस्य जोड़कर परिवार को आगे बढ़ाया जा सकता है।
 10. हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति पर एक का कब्जा सभी का कब्जा माना जाता है। इस प्रकार हिन्दू संयुक्त परिवार में संपत्ति पर कब्जे के आधार पर एकता रहती है।
 11. हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति में से कोई सदस्य कभी भी विभाजन करवाकर पृथक हो सकता है। इस प्रकार सदस्य के पृथक होने पर वह संपत्ति संयुक्त हिन्दू परिवार की नहीं रहती है।
 12. एक बृहत हिन्दू संयुक्त परिवार ईकाई में अनेक छोटी-छोटी हिन्दू संयुक्त परिवार की लघुतर ईकाई समाहित हो सकती है। जिनका पृथक अस्तित्व नहीं होता है परंतु छोटी-छोटी हिन्दू संयुक्त परिवार की लघुतर ईकाई अपना प्रबंधन पृथक करती हैं।
37. प्रकरण में हिन्दू विधि के तहत हिन्दू संयुक्त परिवार एवं हिन्दू संयुक्त परिवार संपत्ति की संकल्पना/अवधारणा के संबंध में कानून/विधि की स्थिति के पश्चात हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 01-09 के हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य होने के बारे में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में वादीगण द्वारा सजरा प्रस्तुत करते हुए अभिकथन किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01-09 के हिन्दू होने के कारण सभी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम-1956 से शासित होते हैं। प्रकरण में अन्य प्रतिवादी द्वारा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01-09 के हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य होने के बारे में खंडन करते हुए वादीगण को प्रतिवादीगण के परिवार का सदस्य नहीं माना है। इस संबंध में विस्तृत विवेचन तनकी संख्या 01 एवं 03 में किया जा चुका है।
38. अब प्रकरण में सहदायिकी संपत्ति को समझने के लिए सर्वप्रथम पैतृक संपत्ति की संकल्पना/अवधारणा को समझना आवश्यक है। अतः प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार के तहत पैतृक आराजी की संकल्पना/अवधारणा के संबंध में कानून/विधि की

स्थिति को समझना अपरिहार्य है। हिन्दू विधि के तहत पैतृक संपत्ति की वृहत संकल्पना को समझने के पश्चात हिन्दू विधि के पैतृक संपत्ति के निम्न आवश्यक अवयव हैं:—

1. किसी हिन्दू को अपने तृतीय पीढ़ी के पूर्वज पुरुष पिता के पिता के पिता (परदादा) की संपत्ति, अपने पिता व पिता के पिता (दादा) की मृत्यु पिता के पिता के पिता (परदादा) की मृत्यु से पहले होने की स्थिति में, विरासत में सीधे प्राप्त होने पर प्राप्त संपत्ति उस हिन्दू की पैतृक संपत्ति होती है। उपरोक्त प्रथम परिस्थिति में स्पष्ट किया गया है।
2. किसी हिन्दू को अपने द्वितीय पीढ़ी के पूर्वज पुरुष पिता के पिता (दादा) की संपत्ति, अपने पिता की मृत्यु पिता के पिता (दादा) की मृत्यु से पहले होने की स्थिति में, विरासत में सीधे प्राप्त होने पर प्राप्त संपत्ति उस हिन्दू की पैतृक संपत्ति होती है। उपरोक्त द्वितीय परिस्थिति में स्पष्ट किया गया है।
3. किसी हिन्दू को अपने प्रथम पीढ़ी के पूर्वज पुरुष पिता की संपत्ति विरासत में प्राप्त होने पर प्राप्त संपत्ति उस हिन्दू की पैतृक संपत्ति होती है। उपरोक्त तृतीय परिस्थिति में स्पष्ट किया गया है। इस स्थिति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम-1956 के लागू होने के पश्चात धारा-8 के तहत विरासत के तहत प्राप्त संपत्ति को प्राप्तकर्ता हिन्दू की पैतृक संपत्ति नहीं मानकर प्राप्तकर्ता हिन्दू की पृथक संपत्ति माना जाता है। अगर इस स्थिति में विरासत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम-1956 के लागू होने से पूर्व खुलती हैं उस स्थिति में ही विरासत के तहत प्राप्त संपत्ति को प्राप्तकर्ता हिन्दू की पैतृक संपत्ति माना जाता है।
4. किसी हिन्दू की प्राप्त पैतृक संपत्ति को उस हिन्दू द्वारा अपने पुत्र, अपने पुत्र के पुत्र (पौत्र), अपने पुत्र के पुत्र के पुत्र (प्रपौत्र) होने की स्थिति में आवश्यक रूप से धारण करना अनिवार्य है।
5. किसी हिन्दू की प्राप्त पैतृक संपत्ति में उस हिन्दू का पुत्र, पुत्र के पुत्र (पौत्र), पुत्र के पुत्र के पुत्र (प्रपौत्र) जन्म से ही अधिकार निहित रखता है।
6. हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम-2005 द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम-1956 की धारा-06 में किये गये संशोधन के पश्चात पुत्रियों को भी पुत्रों के समान सहदायक माना गया है। इस आधार पर किसी हिन्दू की प्राप्त पैतृक संपत्ति में उस हिन्दू की पुत्री भी जन्म से ही अधिकार निहित रखती है।

39. प्रकरण में विवादित आराजी के सहदायिकी संपत्ति होने के बारे में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। यहां उल्लेखनीय है कि हिन्दू विधि की नवीनतम स्थिति के अनुसार उक्त पृथक संपत्ति को सहदायकों/हिन्दू परिवार के सदस्यों द्वारा सहदायिकी संपत्ति के बंडल में समर्पित किये जाने की स्थिति में ही सहदायिकी

संपत्ति/पैतृक संपत्ति माना जाना विधिसंगत है। प्रकरण में इस तनकी पर विश्लेषण से पूर्व हिन्दू संयुक्त परिवार तथा सहदायिकी की इकाई तथा संबंधित इकाई द्वारा धारित हिन्दू संयुक्त परिवार संपत्ति व सहदायिकी संपत्ति की संकल्पना/अवधारणा को समझने के पश्चात हिन्दू संयुक्त परिवार के मुखिया/कर्ता की भूमिका की संकल्पना/अवधारणा को समझना आवश्यक है। हिन्दू विधि के तहत हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता की कानून की स्थिति निम्न प्रकार स्पष्ट की गई है:-

1. अगर पिता जीवित है तो पिता हिन्दू संयुक्त परिवार का कर्ता माना जाता है।
2. अगर पिता जीवित नहीं है तो परिवार का वरिष्ठ सदस्य हिन्दू संयुक्त परिवार का कर्ता माना जाता है।
3. एक वृहत हिन्दू संयुक्त परिवार इकाई में अनेक छोटी-छोटी हिन्दू संयुक्त परिवार की लघुतर इकाई समाहित हो सकती है। इन लघुतर हिन्दू संयुक्त परिवार की लघुतर इकाई के पृथक-पृथक कर्ता हो सकते हैं।
4. हिन्दू संयुक्त परिवार का कर्ता पर अन्य सदस्यों से विशिष्ट स्थिति रखता है। हिन्दू संयुक्त परिवार का कर्ता को संयुक्त परिवार के सदस्यों से सलाह मशविरा कर संयुक्त परिवार के प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है।

40. प्रकरण में हिन्दू संयुक्त परिवार के मुखिया/कर्ता की भूमिका को समझने के पश्चात की हिन्दू संयुक्त परिवार के मुखिया/कर्ता के प्राधिकार एवं संपत्ति के अंतरण की शक्तियों की संकल्पना/अवधारणा को समझना आवश्यक है। हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव है:-

1. हिन्दू विधि द्वारा अनुमत परिस्थितियों के अतिरिक्त हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता बिना सहदायकों की सहमति के सहदायिकी संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकता है।
2. हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता बिना सहदायकों की सहमति के सहदायिकी संपत्ति को हिन्दू विधि द्वारा अनुमत निम्न परिस्थितियों के अंतर्गत अंतरण कर सकता है:-
 - आपातकाले:- विधिक आवश्यकतार्थ।
 - कुटुम्बार्थ:- परिवार के हितार्थ।
 - धर्मार्थ:- पवित्र उद्देश्य हेतु।
3. हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता द्वारा हिन्दू विधि द्वारा अनुमत उक्त परिस्थितियों के अंतर्गत किये गए अंतरण से सभी सहदायक बाध्य होते हैं।

41. प्रकरण में हिन्दू संयुक्त परिवार के मुखिया/कर्ता की भूमिका को समझने के पश्चात की हिन्दू संयुक्त परिवार के मुखिया/कर्ता के नाबालिक सहदायक के संबंध में प्राधिकार एवं संपत्ति के अंतरण की शक्तियों की संकल्पना/अवधारणा को

समझना आवश्यक है। हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैं:—

1. हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता द्वारा हिन्दू विधि द्वारा अनुमत उक्त परिस्थितियों के अंतर्गत से सभी सहदायक, चाहे सहदायक बालिग हो या नाबालिग, से निरपेक्ष रहते हुए हिन्दू संयुक्त परिवार की संपत्ति का अंतरण कर सकता है।
 2. हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता द्वारा हिन्दू विधि द्वारा अनुमत उक्त परिस्थितियों के अंतर्गत हिन्दू संयुक्त परिवार की संपत्ति के किये गए अंतरण से सभी सहदायक, चाहे सहदायक बालिग हो या नाबालिग, से निरपेक्ष रहते हुए बाध्य होते हैं।
 3. हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार के कर्ता की अनुपस्थिति में संयुक्त हिन्दू परिवार के मुखिया/संरक्षक द्वारा हिन्दू विधि द्वारा अनुमत उक्त परिस्थितियों के अंतर्गत हिन्दू संयुक्त परिवार की संपत्ति के किये गए अंतरण से सभी सहदायक, चाहे सहदायक बालिग हो या नाबालिग, से निरपेक्ष रहते हुए बाध्य होते हैं।
42. प्रकरण में हिन्दू संयुक्त परिवार की संपत्ति में कर्ता के अधिकार की अवधारणा से प्रकरण के तथ्यों का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में भगवाना पुत्र दुर्गा, मेहरा पुत्र दुर्गा व मांगा पुत्र दुर्गा की लघुत्तर पारिवारिक इकाई का मुखिया क्रमशः भगवाना पुत्र दुर्गा, मेहरा पुत्र दुर्गा के वारिस व मांगा पुत्र दुर्गा के वारिस को माना जाना उचित प्रतीत होता है। इस संबंध में वादीगण के द्वारा भगवाना पुत्र दुर्गा, मेहरा पुत्र दुर्गा व मांगा पुत्र दुर्गा की लघुत्तर पारिवारिक इकाई का मुखिया क्रमशः भगवाना पुत्र दुर्गा, मेहरा पुत्र दुर्गा के वारिस व मांगा पुत्र दुर्गा के वारिस के अपने पारिवारिक इकाई के कर्ता खानदान नहीं होने के संबंध में कोई खंडन नहीं करते हुए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए है। इस आधार पर भगवाना पुत्र दुर्गा, मेहरा पुत्र दुर्गा व मांगा पुत्र दुर्गा की लघुत्तर पारिवारिक इकाई का मुखिया क्रमशः भगवाना पुत्र दुर्गा, मेहरा पुत्र दुर्गा के वारिस व मांगा पुत्र दुर्गा के वारिस को कर्ता माना जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार प्रकरण में निर्विवादित है कि भगवाना पुत्र दुर्गा, मेहरा पुत्र दुर्गा व मांगा पुत्र दुर्गा की लघुत्तर पारिवारिक इकाई का मुखिया क्रमशः भगवाना पुत्र दुर्गा, मेहरा पुत्र दुर्गा के वारिस व मांगा पुत्र दुर्गा के वारिस ही परिवार का कर्ता धर्ता है।
43. प्रकरण में हिन्दू संयुक्त परिवार के मुखिया/कर्ता की भूमिका, प्राधिकार एवं संपत्ति के अंतरण की शक्तियों की संकल्पना/अवधारणा को समझने के पश्चात सहदायक द्वारा सहदायिकी संपत्ति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा अंतरण तथा अंतरण हेतु आवश्यक परिस्थितियों की संकल्पना/अवधारणा को समझना आवश्यक है। हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैं:—
1. हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता बिना सहदायकों की सहमति के सहदायिकी संपत्ति को हिन्दू

विधि द्वारा अनुमत निम्न परिस्थितियों के अंतर्गत अंतरण कर सकता है:-

- आपातकाले:- विधिक आवश्यकतार्थ।
- कुटुम्बार्थ:- परिवार के हितार्थ।
- धर्मार्थ:- पवित्र उद्देश्य हेतु।

44. प्रकरण में सहदायक द्वारा सहदायिकी संपत्ति में अपने हिस्से के विधिक आवश्यकता के तहत परिवार के लाभ हेतु संपत्ति का बेचान द्वारा के अंतरण की संकल्पना/अवधारणा को समझने के पश्चात सहदायक द्वारा सहदायिकी संपत्ति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा अंतरण तथा अंतरण हेतु उत्पन्न विधिक आवश्यकता की संकल्पना/अवधारणा को समझना आवश्यक है। हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव है:-

1. हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता बिना सहदायकों की सहमति के सहदायिकी संपत्ति को हिन्दू विधि द्वारा अनुमत परिस्थितियों यथा आपातकाले:-विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण कर सकता है।
2. सहदायिकी संपत्ति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु सहदायिकी संपत्ति पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होनी आवश्यक है।
3. सहदायिकी संपत्ति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता का आचरण विवेकपूर्ण पुरुष के समान होना आवश्यक है।
4. सहदायिकी संपत्ति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु अंतरण एवं संपत्ति के अंतरण से प्राप्त प्रतिफल राशि का युक्तियुक्त होना आवश्यक है।

45. प्रकरण सहदायक द्वारा सहदायिकी संपत्ति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा अंतरण तथा अंतरण हेतु उत्पन्न विधिक आवश्यकता की संकल्पना/अवधारणा को समझने के पश्चात सहदायक द्वारा सहदायिकी संपत्ति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा विधिक आवश्यकता हेतु किये गये अंतरण के संबंध में खरीददार के उपर अंतरण की विधिक आवश्यकता को साबित करने की विधिक दायित्व के बारे में समझना आवश्यक है। हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार के तहत सहदायक द्वारा सहदायिकी संपत्ति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा विधिक आवश्यकता हेतु किये गये अंतरण के संबंध में खरीददार के उपर अंतरण की विधिक आवश्यकता को साबित करने की विधिक दायित्व की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव है:-

1. सहदायिकी संपत्ति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु सहदायिकी संपत्ति पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होनी आवश्यक है।
2. सहदायिकी संपत्ति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु सहदायिकी संपत्ति पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की उत्पन्न परिस्थितियां के बारे में क्रेता

को अंतरण से पूर्व वास्तविक रूप से जानकारी करने का विधिक दायित्व होता है।

3. सहदायिकी संपत्ति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु सहदायिकी संपत्ति पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होने को साबित करने का विधिक भार/दायित्व क्रेता के उपर होता है।
4. सहदायिकी संपत्ति को पूर्ववर्ती ऋण हेतु विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने पर सहदायिकी संपत्ति के अंतरण से प्राप्त प्रतिफल राशि का अंतरणकर्ता द्वारा उपयोग के बारे में जानकारी करने का विधिक दायित्व क्रेता का होता है।
5. सहदायिकी संपत्ति को परिवार या सहदायिकी संपत्ति के लाभ या निवेश हेतु विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने पर सहदायिकी संपत्ति के अंतरण से प्राप्त प्रतिफल राशि का अंतरणकर्ता द्वारा उपयोग के बारे में जानकारी करने का विधिक दायित्व क्रेता का होता है।

46. इस संबंध में हिन्दू विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि सहदायिकी संपत्ति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु सहदायिकी संपत्ति पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होनी आवश्यक है। हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता बिना सहदायकों की सहमति के सहदायिकी संपत्ति को हिन्दू विधि द्वारा अनुमत परिस्थितियों यथा *आपातकाले*—विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण कर सकता है। हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के सहदायिकी संपत्ति के प्रबंधन/अंतरण के पश्चात ही कर्ता द्वारा अंतरण के विरुद्ध अन्य सहदायक को कर्ता द्वारा अंतरण को विधिक आवश्यकता नहीं होने के आधार पर अंतरण किए जाने के आधार पर ही कर्ता द्वारा किए गए अंतरण को निष्फल करवाने का विकल्प/उपचार उपलब्ध है।

47. प्रकरण में हिन्दू विधि की उक्त स्पष्ट स्थिति के आलोक में प्रकरण में उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 01—09 द्वारा मुतनाजा आराजी का पंजीकृत बयनामा दिनांक 06.11.2020 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 13 को किया गया अंतरण अपने हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के रूप में निष्पादित किया गया है। अब प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01—09 द्वारा मुतनाजा आराजी का पंजीकृत बयनामा दिनांक 06.11.2020 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 13 को किया गया अंतरण का विधिक आवश्यकता के आधार पर निष्पादित किये जाने के बारे में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है।

48. इस संबंध में प्रदर्श डी—01 एवं 02 पंजीबद्ध बयनामा के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रतिवादी संख्या 01—09 ने अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी पैतृक आराजी को बेचने का निर्णय लिया। विक्रेता प्रतिवादी संख्या 01—09 ने अपने परिवार की आवश्यकताओं हेतु रूपयों की जरूरत होने के लिए संपत्ति का

बेचान किए जाने बाबत् प्रदर्श डी-01 एवं 02 पंजीकृत बयनामा दिनांक 06.11.2020 में स्पष्ट अभिकथन किया है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 13 को उक्त संपत्ति के अंतरण हेतु विधिक आवश्यकता की जानकारी होना प्रथमदृष्टया प्रमाणिक प्रतीत होता है। इस प्रकार मुतनाजा आराजी पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होने के बारे में क्रेता प्रतिवादी संख्या 13 द्वारा संपत्ति के अंतरण में विधिक आवश्यकता निहित होने के बारे में अपने उपर आरोपित दायित्व की गई जानकारी के संबंध में किये गये उक्त कार्यकरण से प्रतीत होता है कि मुतनाजा आराजी पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होने के बारे में क्रेता प्रतिवादी संख्या 13 द्वारा संपत्ति के अंतरण में विधिक आवश्यकता निहित होने के बारे में जानकारी कर अपने उपर आरोपित दायित्व को पूर्ण किया है। इस प्रकार मुतनाजा आराजी पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होने के बारे में क्रेता प्रतिवादी संख्या 13 द्वारा संपत्ति के अंतरण में विधिक आवश्यकता निहित होने के बारे में अपने उपर आरोपित दायित्व का निर्वहन किया जाना साबित करने में सफल रहा है। इस प्रकार प्रतिवादी अपने उपर आरोपित तथ्य के प्रमाणन के भार (Onus of Proof) को निर्वहन करने में सफल रहा है। इससे प्रमाणन का भार (Onus of Proof) वादी के उपर स्थानांतरित होता है। इस संबंध में वादी के उपर आरोपित प्रमाणन का भार (Onus of Proof) को निर्वहन करने में प्रतिवादी असफल रहे हैं। इससे प्रमाणन का भार (Onus of Proof) वापस वादी के उपर स्थानांतरित नहीं होता है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 01-09 द्वारा हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता की हैसियत से प्रतिवादी संख्या 13 को पंजीकृत बयनामा दिनांक 06.11.2020 द्वारा मुतनाजा आराजी का परिवार की विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण को वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01-09 पर बाध्यकारी होने से उक्त अनुतोष स्वीकार योग्य नहीं है।

49. प्रकरण में अब तनकी संख्या 05 पर विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 05 निम्न प्रकार है:-

5. आया वादीगण को दुर्गाराम का वारिश घोषित करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को होकर हाजा न्यायालय को नहीं होने के कारण दावा वादी काबिल-ए-खारिज है।

..... प्रतिवादी संख्या 13

50. प्रकरण में उक्त तनकी सहदायिकी संपत्ति में किये गये अंतरण को आरंभ से शुन्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित करवाने से संबंधित है। प्रकरण में तनकी संख्या 07 के वादीगण के विरुद्ध फैसल होने के कारण पृथक से विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। प्रकरण में तनकी संख्या 07 के संबंध में उक्त विश्लेषण के पश्चात निष्कर्षतः वादी का दावा प्रतिवादी संख्या 01-05 द्वारा विधिक आवश्यकता के लिए प्रतिवादी संख्या 13 को बेचान करने के कारण बेचान दिनांक 06.11.2020 के हद तक दावा वादी काबिल-ए-खारिज है। साथ ही तनकी संख्या 07 के संबंध में विधि की सुस्पष्ट स्थिति है कि खातेदारी अधिकारों की घोषणा के मुख्य अनुतोष के आनुषांगिक अनुतोष के रूप में किसी अंतरण के पंजीबद्ध दस्तावेज को आरंभ से शुन्य व निष्प्रभावी घोषित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय में निहित है। इस आधार पर प्रतिवादी संख्या 01-09 उक्त तनकी संख्या 05 को साबित करने में असफल रहे हैं। उक्तानुसार तनकी संख्या 05 प्रतिवादी संख्या 01-09 के विरुद्ध फैसल की जाती है।

51. प्रकरण में अब तनकी संख्या 06 पर विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 06 निम्न प्रकार है:-

6. आया वादी को उक्त दावा लाने का वादहेतुक नहीं होने व दावा म्याद बाहर होने से दावा काबिल-ए-खारिज है।

.....प्रतिवादी संख्या 01-09

52. प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि तनकी संख्या 06 वादहेतुक व म्याद के बिन्दु से संबंधित है। इस संबंध में हस्तगत वाद में तनकी संख्या 01 के स्वीकार होने से यह स्पष्ट है कि उक्त दावा प्रस्तुत करने के संबंध में वादहेतुक उत्पन्न नहीं हुआ है। इस हेतु वादहेतुक उत्पन्न होने के बिन्दु पर पृथक से विश्लेषण अपेक्षित नहीं है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 01-09 के उक्त दावा म्याद बाहर होने के अभिकथन के संबंध में वादीनीगण द्वारा उक्त वाद अपनी पैतृक सम्पत्ति में हक अधिकारों की घोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया है। जिसमें वादीनीगण के पूर्वज दुर्गा पुत्र अंबा के फौतगी नामांतरकरण में वादीनीगण का नाम नहीं लिखा गया था। इस संबंध में किसी खातेदार के फौत होने पर उनके विधिक वारिसान के नाम नामांतरकरण नहीं खोले जाने पर उक्त विधिक वारिसान द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-88 के तहत सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अपनी पैतृक सम्पत्ति में खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा जा सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की तृतीय अनुसूची के अनुसार धारा-88 के दावे हेतु कोई म्याद निर्धारित नहीं की गई है। अतः उक्त प्रावधानानुसार उक्त अनुतोष म्याद से बाधित नहीं होता है। अतएव वादीनीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत दावा म्याद के बिन्दु से बाधित होता प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 01-09 तनकी संख्या 02 को साबित करने में असफल रहे हैं। अतः तनकी संख्या-02 प्रतिवादी संख्या-01-09 के विरुद्ध फैसल की जाती है।

53. प्रकरण में अब तनकी संख्या 02 पर विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 02 निम्न प्रकार है:-

2. आया वादीगण मुतनाजा आराजी पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम-1956 की धारा-08 के तहत पैतृक आराजी होकर दुर्गाराम की वारिश होने के आधार पर प्रत्येक के 1/5-1/5 हिस्से के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के पश्चात विरुद्ध प्रतिवादीगण मुताबिक वादवर्णित अनुतोष अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है।

.....वादी

54. प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि तनकी संख्या 02 स्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित है। प्रकरण में तनकी संख्या 01 वादी के विरुद्ध एवं तनकी संख्या 03 प्रतिवादी के पक्ष में स्वीकार होने एवं उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः तनकी संख्या 02 वादीगण के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

55. प्रकरण में अब तनकी संख्या 04 पर विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 04 निम्न प्रकार है:-

4. आया *मुतनाजा आराजी पर वादीगण का कोई कब्जा नहीं होने के कारण स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष पोषणीय नहीं होने के कारण दावा वादी काबिल-ए-खारिज है।*

.....प्रतिवादी संख्या 01-09

56. प्रकरण में उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 01-09 पर है। प्रकरण में तनकी संख्या 01 वादी के विरुद्ध फैसल होने से उक्त तनकी पर पृथक से विश्लेषण अपेक्षित नहीं है। फिर भी विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि बिना कब्जे के अनुतोष के केवल घोषणा का दावा पोषणीय नहीं है। प्रकरण में वादीगण का मुतनाजा आराजी पर कब्जा स्पष्ट नहीं है। हस्तगत दावा में वादी द्वारा घोषणा के अनुतोष के साथ कब्जे का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। इस कारण भी बिना कब्जे के अनुतोष के वादी का दावा पोषणीय नहीं है। उक्त कानूनी तनकी संख्या 04 को प्रतिवादी साबित करने में सफल रहे हैं। अतः तनकी संख्या 04 प्रतिवादी के पक्ष में फैसल की जाती है।

57. निष्कर्षतः प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम-1956 की धारा-09 अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम-1956 की अनुसूची के वर्ग-01 के वारिसों के मध्य संपत्ति के न्यागमन होने की स्थिति में दुर्गराम पुत्र अंबाराम के प्रथम श्रेणी की वारिस वादीगण को दुर्गराम पुत्र अंबाराम का उक्त संपत्ति में हिस्सा वादी के उपर न्यागत होना विधिसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः स्व0 दुर्गराम पुत्र अंबाराम की सम्पत्ति में वादीगण के हित व अधिकार निहित नहीं हैं। इस प्रकार न्यायालय के विनम्र मत में वादीगण द्वारा वादीगण को स्व0 दुर्गराम पुत्र अंबाराम की विधिक वारिस होने के अभिकथन को साबित करने में असफल रहे हैं। अतः

आदेश है कि
वादी का दावा बाबत् इस्तक्करारहक नामंजूर किया
जाता है।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 25.05.2026 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बालोतरा

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2018/00181(76/2018)

दर्ज तिथि:- 10.08.2018

1. सुआ पुत्री दुर्गाराम
2. समू पुत्री दुर्गाराम
जाति मेघवाल निवासी आलपुरा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. पोकराराम पुत्र मेहराराम
2. पदमाराम पुत्र मेहराराम
3. जीवाराम पुत्र मेहराराम
4. घेवाराम पुत्र मेहराराम
5. सोहनलाल पुत्र मेहराराम
6. जेतीदेवी पत्नी मेहराराम
7. भंवराराम पुत्र मांगाराम
8. चैनाराम पुत्र मांगाराम
9. आसुराम पुत्र मांगाराम
10. भगवानाराम पुत्र दुर्गाराम
जाति मेघवाल निवासी आलपुरा तहसील गुडामालानी
11. शाखा प्रबंधक एसबीबीजे शाखा गुडामालानी
12. तहसीलदार गुडामालानी
13. नरींगाराम पुत्र चतराराम
जाति मेघवाल निवासी सिंघासवा चौहान तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

.....प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री प्रागाराम बोगराज

प्रतिवादी:- श्री रामजीवन विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 88,188

राजस्थान काश्तकारी अधि0-1955

—:पर्चा डिक्री:-

वादी का दावा बाबत् इस्तक्करारहक नामंजूर किया जाता है।

सुआ बनाम पोकराराम

2018/00181

निर्णय दिनांक:-25.05.2026

यह पर्चा-डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार गुडामालानी को भिजवाई जावें। आदेश जारी हो।
पक्षकारान अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा-डिक्री आज दिनांक 25.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर
युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुडामालानी

